



भारत सरकार/ Government of India

वस्त्र मंत्रालय/ Ministry of Textiles

पटसन आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Jute Commissioner

पाटसन भवन, सीएफ ब्लॉक, / Patsan Bhawan, CF Block,

सातवा व आठवां तल, एक्शन एरिया- I, / 7th & 8th Floor, Action Area-I,

न्यूटाउन, कोलकाता – 700 156/ Newtown, Kolkata – 700 156

No. Jute(Mktg)/106 /Raw Jute Registration/15-II

Date: 24-12-2024


Notice under clause 9 of Jute & Jute Textiles Control Order, 2016

o/o Jute Commissioner vide Circular dated 13-09-2022 had informed registered raw jute traders about simplification of online monthly return format and directed them to submit online monthly return upto 10th of following month in the 'JUTE SMART' portal. After considering the request of the Jute Balers' Association, this office vide order dated 21-06-2023 again directed registered raw jute traders to submit their returns of purchase & sale of raw jute online on the 'JUTE SMART' portal. It has been observed that even after simplification of the return format, registered raw jute traders have not been submitting their returns of purchase & sale of raw jute. Now this office has decided to further simplify the return format (enclosed as Annexure-I).

2. In exercise of the powers conferred under clause 9(1)(a) of Jute & Jute Textiles Control Order, 2016, I, Moloy Chandan Chakraborty, Jute Commissioner hereby direct you to furnish the details of stocks of raw jute every fortnight in the format given at Annexure I through Jute SMART portal. You can do so by logging in to the JUTE SMART' portal using your User ID and Password.

3. The periodical returns to be submitted by traders of raw jute for period from 1st to 15th of the month must be submitted before 20th of the ongoing month. The returns for the period from 16th to end of the month must be submitted by 5th of the following month. It may also be noted that if no trade has taken place or no stock is available, NIL return is required to be submitted within the stipulated date.

4. If you fail to comply with the provisions of this order, you shall be punishable under clause 11 of Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 read with Section 7 of the Essential Commodities Act, 1955.


24/12/2024
(Moloy Chandan Chakraborty)
Jute Commissioner

To

1) All traders/dealers/agencies/stockists/ brokers etc. of raw jute.

2) The President, Jute Balers' Association, 12, India Exchange Place, Kolkata- 700 001

(Annexure-I)**Proforma for submission of fortnightly return of raw jute Purchase & Sale data****Period:** _____ **to** _____

Opening Stock (Quintals)	Purchase during the period (Quintals)	Arrival during the period (Quintals)	Sale during the reporting period (Quintals)	Dispatch during the period (Quintals)	Closing stock as on date of reporting (Quintals)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(A + C - E)

Note: A document giving the detailed steps to submit online returns in the 'JUTE SMART' portal shall be uploaded in this office website <https://jutecomm.gov.in> separately.



भारत सरकार /Government of India

वस्त्र मंत्रालय/ Ministry of Textiles

पटसन आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Jute commissioner

पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक/ Patsan Bhawan, CF Block,

सातवा व आठवां तल, एक्शन एरिया-1/ 7th & 8th Floor, Action Area-I

न्यूटाउन, कोलकाता/ Newtown, Kolkata – 700156

संख्या :पटसन(विपणन)/106/कच्चा जूट पंजीकरण/15-II

दिनांक: 24.12.2024

पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 9 के तहत सूचना

पटसन आयुक्त के कार्यालय ने दिनांक 13.09.2022 के परिपत्र के माध्यम से पंजीकृत कच्चे पटसन व्यापारियों को ऑनलाइन मासिक रिटर्न प्रपत्र के सरलीकरण के बारे में सूचित किया था और उन्हें 'जूट स्मार्ट' पोर्टल में आगामी माह के 10 तारीख तक ऑनलाइन मासिक रिटर्न जमा करने का निदेश दिया था। जूट बेलर्स एसोसिएशन के अनुरोध पर विचार करने के बाद, इस कार्यालय ने दिनांक 21.06.2023 के आदेश के तहत फिर से पंजीकृत कच्चे पटसन व्यापारियों को 'जूट स्मार्ट' पोर्टल पर कच्चे पटसन की खरीद और बिक्री की अपनी रिटर्न ऑनलाइन करने का निदेश दिया। यह देखा गया है कि रिटर्न प्रपत्र के सरलीकरण के बाद भी, पंजीकृत कच्चे पटसन व्यापारी कच्चे पटसन की खरीद और बिक्री की अपनी रिटर्न जमा नहीं कर रहे हैं। अब इस कार्यालय ने विवरणी प्रपत्र (संलग्नक-1 के रूप में संलग्न) को और सरल बनाने का निर्णय लिया है।

2 पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 9 (1) (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त जूट स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से अनुलग्नक -1 में दिये गए प्रपत्र में हर पखवाड़े कच्चे पटसन के भंडार का विवरण प्रस्तुत करने का निदेश देता हूँ। आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके जूट स्मार्ट पोर्टल में लॉग इन करके ऐसा कर सकते हैं।

3 कच्चे पटसन के व्यापारियों द्वारा महीने की पहली तारीख से 15 तारीख तक की अवधि के लिए प्रस्तुत की जाने वाली आवधिक विवरण मौजूदा महीने के 20 तारीख के पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए। 16 से माह के अंत तक अवधि के लिए रिटर्न अगले महीने की 5 तारीख तक जमा किया जाना चाहिए। यह भी नोट किया जाए कि कोई यदि कोई व्यापार नहीं हुआ अथवा कोई भंडार उपलब्ध नहीं है तो शून्य विवरण तय तिथि के भीतर प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

4 यदि आप इस आदेश के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के साथ पठित पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड II के अंतर्गत दंडनीय होंगे।

(मलय चंदन चक्रवर्ती)

पटसन आयुक्त

सेवा में

1 कच्चे पटसन के सभी व्यापारी/डीलर/अभिकरण/स्टॉकिस्ट/ब्रोकर आदि ।

2 अध्यक्ष, जूट बेलर्स एसोसिएशन, 12 इंडिया एक्सचेंज प्लेस , कोलकाता - 700 001

कच्चे पटसन के खरीद और बिक्री डाटा की पाक्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा
अवधि:से.....तक

आरंभिक स्टॉक (किंवंटल)	अवधि के दौरान खरीद (किंवंटल)	इस अवधि के दौरान खरीद (किंवंटल)	रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बिक्री (किंवंटल)	अवधि के दौरान प्रेषण (किंवंटल)	रिपोर्टिंग की तिथि के अनुसार अंतिम स्टॉक (किंवंटल)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(A+C-E)

नोट : 'जूट स्मार्ट' पोर्टल में ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के लिए एक विस्तृत दस्तावेज इस कार्यालय की वेबसाइट पर <https://jutecomm.gov.in> अलग से अपलोड किया जाएगा।

[Email-jcoffice@jutecomm.gov.in](mailto:jcoffice@jutecomm.gov.in) / [Web-www.jutecomm.gov.in](http://www.jutecomm.gov.in)